भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3161
दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

दवाइयों और सर्जिकल उपकरणों की कीमतें

3161. श्री दरोगा प्रसाद सरोजः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विगो, आईवी सेट, फिक्सेटर, विक्रिल थ्रेड, कमर बेल्ट जैसे अधिकांश चिकित्सा या शल्य चिकित्सा उपकरणों और दवाओं के थोक मूल्य तथा बिक्री मूल्य के बीच 5 से 100 गुना का अंतर है;

(ख) क्या दवाओं और शल्य चिकित्सा उपकरणों के मूल्य निर्धारण पर सरकार का कोई नियंत्रण है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किस प्राधिकारी को नियुक्त किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार डीलरों को दवा और शल्य चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति वाली दवा कंपनियों द्वारा निर्धारित मूल्य से दो से तीन गुना अधिक खुदरा मूल्य अंकित करने की कोई योजना बना रही है; और

(च) क्या सरकार का देश में निजी अस्पतालों और डॉक्टरों द्वारा परामर्श शुल्क के मनमाने और अंधाधुंध संग्रह को नियंत्रित करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): औषध विभाग (डीओपी) के तहत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) की अनुसूची-I में शामिल दवाओं का अधिकतम मूल्य नियत करता है। अनुसूचित औषधियों के सभी विनिर्माताओं को अपने उत्पादों की बिक्री एनपीपीए द्वारा नियत किए गए अधिकतम मूल्य (साथ ही लागू माल और सेवा कर) के भीतर करनी होती है। गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के मामले में, विनिर्माता को अपने द्वारा शुरू की गई औषधियें का अधिकतम खुदरा मूल्य

(एमआरपी) निर्धारित करने की स्वतंत्रता है। हालांकि, डीपीसीओ, 2013 के अनुसार, कोई भी विनिर्माता गैर-अनुसूचित औषधि के एमआरपी में पिछले 12 महीनों के दौरान व्याप्त एमआरपी के 10% से अधिक की वृद्धि नहीं कर सकता है। इसके अलावा, एनपीपीए डीपीसीओ 2013 में यथा परिभाषित नई औषधि का खुदरा मूल्य भी निर्धारित करता है। एनपीपीए मूल्यों की निगरानी करता है और उल्लंघन की रिपोर्ट/सूचना मिलने पर डीपीसीओ, 2013 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार दोषी कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करता है। हालांकि, आपूर्ति श्रृंखला में विभिन्न चरणों में विभिन्न हितधारकों को दिए जाने वाले मार्जिन और छूट सहित व्यावसायिक गतिविधियां डीपीसीओ, 2013 के दायरे में नहीं आती हैं। डीपीसीओ, 2013 के अनुसार सर्जिकल उपकरण जैसे विगो, आईवी सेट, फिक्सेटर, विक्रिल थ्रेड, कमर बेल्ट गैर-अनुसूचित वस्तुएं हैं। तदनुसार, कानून के अनुसार मूल्यों में वृद्धि के संदर्भ में किसी भी उल्लंघन के लिए उनके मूल्यों की निगरानी की जाती है।

(च): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सरकार ने उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने के उद्देश्य से नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (सीई अधिनियम) को अधिनियमित किया। सीई अधिनियम सरकारी और निजी दोनों स्वास्थ्य सुविधाकेन्द्रों (सशस्त्र बलों के सुविधाकेन्द्रों के अलावा) में क्लीनिक, अस्पताल, नैदानिक केंद्रों सहित सभी प्रकार के नैदानिक प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, यदि इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अंगीकृत और कार्यान्वित किया जाता है। नैदानिक प्रतिष्ठान (केंद्र सरकार) नियम, 2012 के अनुसार प्रत्येक नैदानिक प्रतिष्ठान पारदर्शिता बनाए रखने के लिए शुल्कों, उपलब्ध सुविधाओं का विवरण प्रमुख स्थान पर मुख्य रूप से प्रदर्शित करेगा। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सीई अधिनियम को अपनाया है, वे मुख्य रूप से अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार निजी अस्पतालों सहित अपने अस्पतालों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार हैं ताकि रोगियों के लिए वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या का प्रावधान सुनिश्चित किया जा सके।

******